UPMP010033512026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी- (Rupesh Ranjan)**,** (उच्चतर न्यायिक सेवा) **- UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1247/2026

अनुज उर्फ छोटू पुत्र विनोद कुमार निवासी टापा पैंठ थाना उत्तर फिरोजाबाद जिला फिरोजाबाद।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---विपक्षी

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज उर्फ छोटू** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या-282/2026, अन्तर्गत धारा- 317(2) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एलाऊ जिला मैनपुरी** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3- संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि," दिनांक 11.08.2026 को मैं थानाध्यक्ष अवनीश कुमार त्यागी मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण मय सरकारी वाहन मय चालक रविकान्त के मय लैपटाप व अन्य जरुरी कागजात लेकर थाना हाजा से रपट नम्बर 42 समय 19:07 बजे बजे देखरेख शान्ती व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व विवेचना व तलाश वाँछित अभियुक्त अन्दर इलाका थाना क्षेत्र में रवाना होकर जागीर चौराहा पर चैकिंग कर रहे थे तभी एन्टी व्हीकल थैप्ट टीम मैनपुरी प्रभारी निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के उपस्थित आये तथा अपने द्वारा सर्विलांस व अन्य माध्यमो से विकसित की गयी सूचनाओ से अवगत कराया तथा जानकारी दी कि कुछ व्यक्ति एक अर्टिगा कार से मोबाइल चोरी करके आ रहे है अगर ठीक तरह से घेराबन्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर हम लोग जागीर चौराहा से थोड़ा थाने की तरफ गदाईपुर मोड़ पर आकर चैकिंग करने लगे कुछ समय बाद एक अर्टिगा कार नं०- HR 55 AN 2734 आती दिखाई दी जिसे हम लोगो ने टोर्चों की रोशनी मे रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। पुलिस वालो ने गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी से उतरने के लिये कहा तथा गाड़ी में बैठे व्यक्तियों की गिनती की गयी तो कुल 04 लोग सवार है चारो व्यक्तियो को हिरासत पुलिस मे लेकर नाम पता पूछते हुऐ जामा तलाशी ली गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम **अनुज उर्फ छोटू** पुत्र विनोद कुमार शर्मा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसकी जेब से दो अदद मोबाइल OPPO मोबाइल रंग स्लेटी जिसका मोडल नं०- CPH2525 व IMEI N0-869663051527490, 86966305152 7482 है तथा SAMSUNG जिसका रंग हल्का

आसमानी व मोडल नं०- M156B/DS व IMEI NO- 350814/49/441649/8, 350825/40/441649/3 बरामद हुए तथा बायी पेंट से एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। तमंचा चालू हालात मे है, जिसकी नाल में फंसा एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ व एक अदद कारतूस दाहिने जेब से बरामद हुआ तथा बायी जेब से 810 रुपये बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम उमेश पुत्र ओमप्रकाश बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसकी जेब से दो अदद मोबाइल 1.SAMSUNG रंग काला व मोडल नं०- A176B/DS IMEI NO- 356137/74/348402/4, 356149/ 61/348402/6 व 2. SAMSUNG रंग सिल्वर व मोडल नं०-A176B/DS IMEI N0-355963/80/ 274283/3, 356067/24/274283/0 बरामद हुए तथा बायी पेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। तमंचे को खोलने व बन्द करने के लिए स्प्रिंगदार खटका लगा है। तमंचा चालू हालात में है व एक कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद हुआ जिसकी पेंदी पर 8MM KF लिखा है व दाहिनी जेब से 550 रुपये बरामद हुए तथा तीसरे ने अपना नाम विष्णु पुत्र भगवानदास बताया जिससे पहने पेंट की बायी जेब से 02 अदद मोबाइल बरामद हुए जिसका विवरण इस प्रकार है OPPO मोबाइल रंग काला जिसका मोडल न0-CPH2591 व IMEI NO-862909069840394, 882909069840386 2.OPPO मोबाइल रंग चमकीला आसमानी जिसका मोडल नं०-CPH 2495 व IMEI N0- 866164062770874, 866164062770866 व बायी जेब से 1010 रुपये बरामद हुए तथा चौथे व्यक्ति जो ड्राईवर है जिसने अपना नाम सतेन्द्र पुत्र गोविन्द सिंह बताया जिसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल OPPO मोबाइल रंग आसमानी व सिल्वर जिसका मोडल नं०- CPH2667 व IMEI NO-863327075823594, 863327075823586 बरामद हुआ। व पेन्ट की दाहिनी जेब से 860 रुपये बरामद हुए तथा गाड़ी के बारे में पूछा तो पकडे गये अभियुक्त सतेन्द्र ने बताया कि साहब यह गाड़ी मेरी है, जिसके कागजात तलब किये गये तो दिखाने में कासिर रहा जिसे मौके पर ही धारा 207 Mv act मे सीज किया गया गाड़ी की तलाशी ली गयी तो एक काले रंग का बैग मिला जिसकी चैन को खोलकर देखा गया तो कुछ मोबाइल फोन है जिनकी गिनती करने पर 25 है जिनका विवरण इस प्रकार है। 1. रेडमी मोबाइल रंग ग्रे जिसका IMEI N0-864399070486361, 864399070486379 2.OPPO RENO रंग सिल्वर 3.OPPO रंग नीला व सिल्वर 4. OPPO रंग नीला व सिल्वर 5. MOTOROLA रंग फीका आसमानी 6. MOTOROLA रंग काला 7. MOTOROLA रंग नीला 8. MOTOROLA रंग काला 9. VIVO रंग डार्क नीला 10.VIVO रंग क्रीम कलर 11.VIVO रंग हल्का बैगनी 12. VIVO रंग सतरंगी 13. VIVO रंग सतरंगी 14. VIVO रंग आसमानी 15.REALME रंग क्रीम कलर 16. REALME रंग जामनी 17. REALME रंग फिरोजी 18. REALME रंग बैंगनी 19. VIVO रंग आसमानी 20. SAMSUNG रंग काला 21. SAMSUNG रंग आसमानी 22. SAMSUNG रंग डायमन्ड 23. ONE PLUS रंग काला 24. APPLE Iphone रंग काला 25. INFINIX 5G रंग डार्क नीला बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो सभी ने एक स्वर मे बताया कि साहब ये सभी मोबाइल हम लोगो ने उज्जैन महाकाल मन्दिर से चोरी किये हैं। हम लोग वहाँ दर्शन करने गये थे, वहीं से हम लोगो ने ये मोबाइल चोरी कर लिये हम सभी की मोबाइल चोरी करने मे अलग-अलग भूमिका रहती है। हम लोग मोबाइलों को लेकर जा रहे थे आप लोगों ने हमे पकड़ लिया हमे माफ कर दो। पकड़े गये अभियुक्तगणों को उनके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए

समय करीब 21:55 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान जनता के व्यक्तियों से गवाही हेतु कहा गया तो कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के डर से तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताये चले गये बरामद सामान 32 अदद मोबाईलो को नम्बरिंग करते हुए चिटबन्दी कर व पैसों को पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया व 25 मोबाइलो को बैग से निकालकर दो अलग से प्लास्टिक के डिब्बो में सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा तमंचा व कारतूसो को अभियुक्त बार–बार सफेद कपड़े में सिल कर सील सर्वे मोहर किया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर थानाध्यक्ष द्वारा बोल बोल कर है० कॉ० 302 विशम्बर सिंह से लैपटॉप पर मोबाइल व टार्च की रोशनी में तैयार करायी गई रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि," प्रार्थी को उक्त केस में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। जबकि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी की मुलाकात जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी के कारखाने में हुयी तभी से हम लोगों में मधुर सम्बन्ध स्थापित हो गये। एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। बारिश के मौसम में प्रार्थी का काम हल्का हो जाता है। इसलिए काम की तलाश में हम लोग कानपुर जा रहे थे। थाना क्षेत्र की सरहद पर थाना एलाऊ की पुलिस ने प्रार्थी को रोक लिया तथा कुछ पैसो की मांग की जो प्रार्थी के पास नहीं थे। इसलिए पुलिस प्रार्थी को थाने ले गयी। थाने ले जाकर जहां और भी लोग हवालात में मौजूद थे। कुछ समय बाद पुलिस वालों ने उनमें से कुछ को छोड़ दिया और दूसरे दिन हम लोगों की मारपीट की तथा कहा कि तुम लोगों को कहना की हम लोग मोबाइल चोर है और प्रार्थीगण का दूसरे दिन ही फर्जी चालान कर दिया। प्रार्थी भले लोग है, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते है। जिससे अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसी घटनाओं से प्रार्थी का न तो कभी वास्ता रहा है और न है। लगाया गया आरोप बिल्कुल फर्जी है। प्रार्थी से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। लगाया गया माल फर्जी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को जिस जगह से बरामद किया गया है। वहां काफी भीड़ थी, फिर भी घटना के सम्बन्ध में किसी को गवाह नहीं बनाया गया है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त सतेन्द्र की जमानत मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दिनांक 18.08.2026 को स्वीकार हो चुका है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को दिनांक 12.08.2026 से जिला कारागार मैनपुरी में निरुद्ध है। प्रार्थी स्थानीय एवं उचित जमानत देने को तैयार है, कभी गैर हाजिर नहीं होगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। "

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार ,''दिनांक 11.08.2026 को थानाध्यक्ष अवनीश कुमार त्यागी मय पुलिस बल, सरकारी वाहन एवं आवश्यक उपकरणों के साथ कानून–व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम मैनपुरी के प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह द्वारा सर्विलांस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्ति अर्टिगा कार से चोरी किये गये मोबाइल

फोन लेकर आ रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस बल द्वारा गदाईपुर मोड़ के पास चेकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय पश्चात अर्टिगा कार संख्या HR-55-AN-2734 को रोककर उसमें सवार चार व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त अनुज उर्फ छोटू की जामा तलाशी से दो मोबाइल फोन, एक 12 बोर तमंचा, तमंचे की नाल में फंसा एक जिन्दा कारतूस तथा एक अन्य जिन्दा कारतूस एवं ₹810/- बरामद हुए। अन्य अभियुक्तों से भी मोबाइल फोन तथा एक अन्य तमंचा एवं कारतूस बरामद होना दर्शाया गया है। वाहन की तलाशी के दौरान एक काले रंग के बैग से विभिन्न कम्पनियों के कुल 25 मोबाइल फोन बरामद होना अंकित है। अभियुक्त से पूछताछ में उक्त मोबाइल फोन उज्जैन महाकाल मंदिर से चोरी किये जाने का कथन किया गया है।''अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त से एक अदद तमंचा नाजायज 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर,810/-रूपए व दो अदद मोबाइल चोरी की बरामदगी का अभियोग है। बरामदगी का कोई साक्षी नहीं है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है,किन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 12-08-2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। वाद के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

7- तद्नुसार अभियुक्त **अनुज उर्फ छोटू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

रूपेश रंजन

दिनाँकः 21.08.2026 **जिला एवम सत्र न्यायाधीश,**

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.08.21 16:32:50 +0530